UPMP040198772026

Presented on : 20-08-2026
Registered on : 20-08-2026
Decided on : 20-08-2026
Duration : 0 years, 0 months, 0 days

IN THE COURT OF
J.M.Ist class-cum-Addl.Munsif VII
AT ,Mainpuri
(Presided Over by AKHIL CHOUDHARY)

Bail Application/4242/2026

राज्य बनाम अब्बास

मु०अ० सं०–152/2026
अं० धारा– 351(3),191(2),190,191(3), 109(1) BNS एवं 3/25/27 Arms Act
थाना– कुर्रा, जिला मैनपुरी।

दिनांक– 20–08–2026

अभियुक्त अब्बास पुत्र बसीर की ओर से **मु०अ० सं०–152/2026** अन्तर्गत धारा– 351(3),191(2),190,191(3), 109(1) BNS एवं 3/25/27 Arms Act थाना–कुर्रा, जिला– मैनपुरी के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त अब्बास जिला कारागार में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी / अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। अतः अभियुक्त की ओर से जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त का अपराध अजमानतीय है। जमानत का विरोध है।

सुना एवं अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त अब्बास जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई व उसके साथी पर पिस्टल और तमंचा से गोली मारकर घायल करने एवं जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप है। उक्त अपराध अजमानतीय एवं सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–20–08–2026

(अखिल चौधरी)
अपर सिविल जज (अवर वर्ग) /न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-7, मैनपुरी।